NBT
नवभारत टाइम्स
नई दिल्ली > शनिवार, 6 जनवरी 2018 > पौष 16 शक 1939 माघ कृष्णा पंचमी विक्रम 2074

नोटिफिकेशन के बावजूद वेबसाइट पर नहीं है जानकारी

स्कूलों की मनमानी, पैरंट्स को लगवा रहे कई चक्कर

Shersingh Saini

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

नर्सरी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी कई स्कूलों ने एडमिशन क्राइटेरिया वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया है। पूछताछ करने पर स्कूल कैंपस में बुलाकर ही एडमिशन के बारे में बता रहे हैं। शिक्षा निदेशालय ने अपने नोटिफिकेशन में साफ किया है कि हर स्कूल को अपनी वेबसाइट और नोटिस बोर्ड में क्राइटेरिया और प्रोसेस की जानकारी देने के अलावा डायरेक्टोरेट की वेबसाइट में भी सारी जानकारी अपलोड करनी होगी।

मंदिर मार्ग के सेंट थॉमस सीनियर सेंकडरी स्कूल ने अभी तक जानकारी वेबसाइट में अपलोड नहीं की है। गोल मार्केट में रहने वाली निहारिका ने बताया कि हमें वेबसाइट में कुछ पता नहीं चला तो स्कूल ही जाना पड़ा। साइट पर जानकारी नहीं होने से पैरंट्स को एक बार पता करने, फिर फॉर्म लेने और फिर जमा कराने जाना पड़ता है। द्वारका के सैम इंटरनैशनल और आदर्श वर्ल्ड स्कूल के बारे में भी ऐसी ही शिकायतें हैं। नर्सरी एडमिशन डॉट कॉम के फाउंडर सुमित वोहरा का कहना है कि हमें इन स्कूलों में अप्लाई करने वाले पैरंट्स की कई शिकायतें आ चुकी हैं। एडमिशन की लास्ट डेट 17 जनवरी है।

कई स्कूल ऐसे भी हैं, जिन्होंने एडमिशन प्रोसेस की अधूरी जानकारी पैरंट्स को दी है। कई ने पॉइंट सिस्टम की जानकारी नहीं दी है, तो कुछ ने सीटों की। शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट में 10 दिन गुजर जाने के बाद भी 125 स्कूलों ने एडमिशन क्राइटेरिया अपलोड नहीं किए हैं। 13 डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ ईस्ट के 40, ईस्ट के 23 और नॉर्थ वेस्ट बी के 20 स्कूल इनमें शामिल हैं।

एडमिशन नहीं आसान

- एक बार इन्फर्मेशन लेने, फिर फॉर्म लेने और जमा करवाने के लिए चक्कर
- स्कूल और DoE की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड करना है जरूरी
- पैरंट्स को फोन कर सीट बुक करने के लिए भी हो रही है पैसों की डिमांड

EWS वाले पैरंट्स परेशान, हो रही देरी

पिछले साल की तरह इस बार भी ईडब्ल्यूएस/डीजी कैटिगरी का एडमिशन प्रोसेस लेट है। इस कैटिगरी के पैरंट्स परेशान हैं और शेड्यूल के बारे में सवाल कर रहे हैं। पिछले साल इस कैटिगरी का पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ मार्च, दूसरा जुलाई और तीसरा नवंबर में हुआ था। इसके बावजूद करीब 10 हजार सीटें खाली रह गई थीं। शेड्यूल और ड्रॉ लेट होने की वजह से ये बच्चे हर साल स्कूलों में लेट जगह पाते हैं। साथ

'एडमिशन के लिए आधार कार्ड है बेहद जरूरी'

नर्सरी एक्सपर्ट : एल वी सहगल, बाल भारती पब्लिक स्कूल, गंगाराम हॉस्पिटल रोड

Q मेरा बेटा 10 जनवरी को 3 साल का हो जाएगा। उसका आधार कार्ड नहीं है केवल बर्थ सर्टिफिकेट है। क्या डीजी कैटिगरी में अप्लाई कर सकता हूं? इसके लिए क्या-क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए? – मनीष स्वरूप

जी, अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे का आधार कार्ड बनवा लें, एडमिशन के वक्त यह जरूरी होगा। हालांकि, रजिस्ट्रेशन के वक्त दिक्कत नहीं आएगी। जरूरी डॉक्युमेंट्स में पैरंट्स के नाम राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड (बच्चे के नाम के साथ), बच्चे या पैरंट्स का डॉमिसाइल सर्टिफिकेट, किसी पैरंट के नाम का वोटर आईडी कार्ड, किसी पैरंट के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल/एमटीएनएल फोन बिल/पानी का बिल/पासपोर्ट, किसी पैरंट के नाम का आधार कार्ड शामिल हैं।

Q मेरा बच्चा अप्रैल में 3 साल का होगा। क्या नर्सरी एडमिशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं? – देव मित्तल

हां, जरूर कर सकते हैं।

Q मैं यह जानना चाहती हूं कि जिन बच्चों का नाम ईडब्ल्यूएस कोटे में आता है, उन बच्चों का नाम स्कूल वाले क्यों नहीं दिखाते? मैं ओबीसी कैटिगरी से हूं और मेरे पास लो इनकम का सर्टिफिकेट भी है। मैं ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करूं या डीजी में? – शादाब सलाहुद्दीन

ईडब्ल्यूएस कैटिगरी के लिए ड्रॉ शिक्षा निदेशालय करता है और वो ही चुने गए बच्चों की लिस्ट स्कूलों को भेजता है। स्कूल इस लिस्ट को नोटिस बोर्ड में लगाते हैं। आप डीजी कैटिगरी में अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करेंगे तो एक लाख रुपये से ज्यादा सैलरी नहीं होनी चाहिए।

Q मेरे जुड़वां लड़के हैं। कुछ स्कूल पहले बच्चे को एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। मैं किस बच्चे को पहला चाइल्ड बताऊं? – प्रदीप कुमार

दोनों को इस कॉलम में दिखा सकते हैं। वहां 'ट्विंस' जरूर लिखें। दोनों बच्चों को ये पॉइंट मिलेंगे, कई स्कूल तो ट्विंस को प्रायॉरिटी देते हैं।